दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 06 सितंबर, 2023
उद्घोषित: 09 जनवरी, 2024

<u>वै.अ.(परि.न्या.) 37/2022 और सि.वि.आ. 16702/2022</u>

सुश्री पायल सेठी ....अपीलार्थी

द्वारा: श्री कुनाल रावत सह सुश्री डोली वर्मा, अधिवक्तागण, व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी के साथ।

बनाम

श्री रोहित सेठी ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री शयुक कुमार एवं श्री रोहित सरोज, अधिवक्तागण।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. नीना बंसल कृष्णा</u>

1. **हिंदू विवाह अधिनियम, 1955** ***(इसके बाद "एचएमए, 1955" के रूप में संदर्भित)*** **की धारा 28 के साथ पठित कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अंतर्गत** अपीलार्थी/पत्नी *(तलाक याचिका में प्रत्यर्थी)* की ओर से एचएमए, 1955 की धारा 13(1)(ia) के अंतर्गत प्रत्यर्थी/पति *(तलाक याचिका*

में याचिकाकर्ता) द्वारा दायर याचिका में क्रूरता के आधार पर तलाक देने के विद्वान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के दिनांक 08.12.2021 के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की गई है।

2. विद्वान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के समक्ष अभिवाकों में संक्षेप में बताए गए तथ्य यह हैं कि पक्षकारगण ने 08.03.2007 को हिंदू रीति-रिवाजों और संस्कारों के अनुसार बिना किसी दहेज के विवाह किया था। 12.11.2007 को उनके विवाह से एक बेटी का जन्म हुआ।

3. प्रत्यर्थी ने प्राख्यान दिया था कि विवाह के मुश्किल से चार महीने बाद, जुलाई, 2007 में अपीलार्थी ने वैवाहिक घर छोड़ दिया। उसने एक झूठी आपराधिक शिकायत दर्ज की जिसमें न केवल भारी दहेज देने का आरोप लगाया गया बल्कि यह भी आरोप लगाया गया कि प्रत्यर्थी के माता-पिता द्वारा बहुत अधिक माँगें की जा रही थी। हालाँकि, बाद में वह पुलिस थाना गई और प्रत्यर्थी के पक्ष में बयान दिया। उसके चाचा श्री राकेश पंकज ने भी कार की चोरी के लिए भा.दं.सं. की धारा 379 के अंतर्गत एक झूठा आपराधिक मामला दायर किया था जिसमें प्रत्यर्थी को अग्रिम जमानत लेनी पड़ी थी।

4. इसके बाद अपीलार्थी/पत्नी ने एचएमए की धारा 11 के अंतर्गत सं. 1468/2007 की एक याचिका दायर की, जिसमें प्रत्यर्थी के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए कि अपीलार्थी से विवाह के समय वह पहले से ही विवाहित था और उनके विवाह को निष्प्रभावी करने की माँग की गई थी। इसके बाद,

मामले में समझौता हो गया और अपीलार्थी ने दिनांक 17.08.2009 को अपने बयान के माध्यम से याचिका वापस ले ली, जिसमें उसने कहा कि उसने प्रत्यर्थी/पति के विरुद्ध मिली गलत सूचना के आधार पर विवाह को अकृत करने के लिए याचिका दायर की थी। याचिका वापस लेने के बाद, दोनों पक्ष 17.08.2009 से डब्ल्यूज़ेड-82-ए, कृष्णा पार्क, दिल्ली स्थित अपने वैवाहिक घर में एक साथ रहने लगे। समझौते के अनुसरण में सीएडब्ल्यू सेल के समक्ष उसके द्वारा दायर की गई शिकायत भी 30.10.2009 को वापस ले ली गई।

5. इसके बाद दोनों पक्ष 02.12.2009 तक एक साथ रहते रहे। प्रत्यर्थी/पति के अनुसार वैवाहिक घर में रहने के दौरान, उसने अपने पिछले आचरण को बदलने से इनकार कर दिया और क्रूरता के कृत्यों में लगी रही। इन परिस्थितियों में, पक्षकारगण ने किराये के आवास में रहने का निर्णय लिया और 02.12.2009 को सी-111/1, कृष्णा पार्क में स्थानांतरित हो गए।

6. प्रत्यर्थी ने दावा किया कि 05.12.2009 को अपीलार्थी ने दोपहर के समय ऑलआउट लिक्विड मस्किटो रिपेलेंट (ऑलआउट तरल मच्छर निरोधक) का सेवन करके आत्महत्या करने का प्रयास किया, जब वह अपने कार्यस्थल पर था। पुलिस और प्रत्यर्थी को उसी संपत्ति की दूसरी मंज़िल पर रहने वाले एक पड़ोसी ने सूचित किया था। प्रत्यर्थी जल्दी से बेहोश अपीलार्थी को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले गया, जहाँ उसके पेट से ज़हर निकाला गया। पुलिस

पहुँची और अपीलार्थी का बयान दर्ज किया, जिसने प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों को उसके आत्मघाती कृत्य की समग्र जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया।

7. माहौल को बदलने और अपीलार्थी को शांत करने के लिए, वे तुरंत अपनी बेटी के साथ 08.12.2009 को नैनीताल गए, जहाँ वे प्रत्यर्थी की बहन के घर पर ठहरे। हालाँकि, वहाँ भी अपीलार्थी का आचरण जिद्दी ही रहा और उसने अपने रवैये में सुधार करने से इनकार कर दिया। वे 15.12.2009 को वापस दिल्ली लौट आए और उसी दिन उसने अपने सौतेले पिता/चाचा श्री राकेश पंकज के साथ रहने के लिए घर छोड़ दिया। इसके बाद, उसने प्रत्यर्थी के बार-बार के प्रयास करने के बाद भी, उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। प्रत्यर्थी ने तुरंत 15.12.2009 को उसके वैवाहिक घर छोड़ने की सूचना पुलिस को दी। प्रत्यर्थी ने दावा किया कि उसके साथ क्रूरता की गई है और इसलिए उसने तलाक की माँग की है।

8. **अपीलार्थी ने याचिका का विरोध किया**, जिसने इस आधार पर तलाक की याचिका की धारणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई कि वह अपनी गलती का फायदा उठा रहा था। उसने छुपाया है कि उसने सुमन नाम की महिला के साथ अपनी पहले विवाह के अस्तित्व के दौरान अपीलार्थी के साथ विवाह किया था। उसने विधिक सहायता ली और आपराधिक शिकायतें दर्ज कीं, लेकिन प्रत्यर्थी ने उस पर दबाव डाला और उसे अपने मामले वापस लेने के लिए प्रभावित किया। उसने अपने विवाह को अकृत करने के लिए एचएमए की धारा 11 के अंतर्गत

एक याचिका भी दायर की थी, लेकिन उसने इसे भी प्रत्यर्थी के झूठे आश्वासन पर वापस ले लिया था कि उसका अपनी पहली पत्नी के साथ कोई संबंध नहीं है और वे एक खुशहाल और सामान्य विवाहित जीवन जीएँगे।

9. **गुणागुण** के आधार पर, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उनके विवाह के समय प्रत्यर्थी के परिवार के सदस्यों ने बताया था कि प्रत्यर्थी एक योग्य कुमार है, जो तिलक नगर में ग्रोवर टेलर के नाम और शैली से कपड़ा व्यवसाय करके अच्छी कमाई कर रहा है। यह भी दावा किया गया कि वह संपत्ति सं. डब्ल्यूज़ेड-82ए, कृष्णा पार्क, नई दिल्ली का मालिक था। यह भी प्राख्यान दिया गया कि यद्यपि उनका विवाह एक व्यवस्था विवाह था, लेकिन विवाह के समय दहेज की भारी माँग की गई थी। टाटा इंडिका कार की भी माँग की गई, जो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन अपीलार्थी के माता-पिता ने दहेज में मारुति 800 कार दी। हालाँकि, मारुति कार उनके विवाह के एक सप्ताह के भीतर चोरी हो गई थी और अपीलार्थी के सौतेले पिता श्री राकेश पंकज द्वारा प्राथमिकी सं. 160/2007 दर्ज कराई गई थी। इसके बाद, प्रत्यर्थी के परिवार के सदस्यों ने टाटा इंडिका कार की माँग फिर से शुरू कर दी और उस पर अपने माता-पिता से उनकी माँग पूरी करने के लिए कहने का भारी दबाव डाला गया।

10. अपीलार्थी ने प्राख्यान दिया था कि उसके साथ अत्यंत क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया और उसे उचित भोजन उपलब्ध कराए बिना पूरे घर का काम करने

के लिए मजबूर किया गया। पर्याप्त दहेज न लाने के कारण भी उसे ताना मारा जाता था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था।

11. अपीलार्थी ने आगे प्राख्यान दिया कि वह प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और मानसिक यातना के कारण लगातार अपने जीवन के खतरे और भय में जी रही थी। उसे घर में बंद कर दिया गया और उसे किसी से बात करने या फोन करने की अनुमति नहीं थी। प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसे धमकी भी दी गई कि यदि उनकी माँगें पूरी नहीं की गईं, तो उसे मार दिया जाएगा और उसके परिवार को प्रतिकूल परिणाम भुगतने होंगे। अंततः, वह अपनी जान बचाने के लिए वैवाहिक घर से भाग निकली। उसके पास एचएमए की धारा 11 के अंतर्गत अपनी याचिका और उसके द्वारा दायर की गई अन्य शिकायतों को वापस लेने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था।

12. वैवाहिक घर में बसने के उसके सभी प्रयासों के बाद भी, प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों का रवैया नहीं बदला। अपीलार्थी ने आगे प्राख्यान दिया कि भा.दं.सं. की धारा 498क/406 के अंतर्गत अपने दायित्व से बचने के लिए प्रत्यर्थी ने अपने माता-पिता के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित साजिश के अंतर्गत उसे किराये के आवास में स्थानांतरित कर दिया था। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि किराये के आवास का किराया प्रत्यर्थी की माँ द्वारा दिया जा रहा था। किराये के मकान में भी उसका जीवन नरक बना रहा क्योंकि उसे ठीक

से खाना खिलाए बिना अपने नवजात बच्चे को पालने के लिए मजबूर होना पड़ा। यद्यपि, प्रत्यर्थी अधिकांश समय अपने पैतृक घर में ही रहता रहा।

13. ज़हर देने की घटना के संबंध में, अपीलार्थी ने दावा किया था कि चूँकि उसे उचित आहार नहीं दिया जा रहा था, इसलिए प्रत्यर्थी ने उसे पौष्टिक टॉनिक के बहाने ऑलआउट लिक्विड दिया था। वह लिक्विड पीने के बाद वह केवल बेहोश हुई थी। प्रत्यर्थी ने केवल स्वयं को बचाने के लिए आत्महत्या का झूठा मामला बनाने का प्रयास किया। इसलिए, उसने दावा किया कि यह वह थी जिसके साथ क्रूरता की गई थी और प्रत्यर्थी तलाक का हकदार नहीं है।

14. मुद्दों को विद्वान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा 06.04.2016 को निम्नानुसार रचा गया था:

> *(i) क्या याचिकाकर्ता एचएमए की धारा 13(1)(ia) के अंतर्गत क्रूरता के इस आधार पर तलाक की डिक्री का हकदार है? साबित करने का दायित्व वादी पर।*
> *(ii) राहत।*

15. अपने मामले के समर्थन में **प्रत्यर्थी अभि.सा.1 के रूप में उपस्थित हुआ**, जबकि **अपीलार्थी प्र.सा.1 के रूप में उपस्थित हुई**।

16. विद्वान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ने पक्षकारगण के साक्ष्यों पर विचार किया और पाया कि अपीलार्थी ने आपसी समझौते के अनुसरण में धारा 11 के अंतर्गत याचिका वापस ले ली थी। हालाँकि, अपीलार्थी ने आरोप लगाया था कि प्रत्यर्थी अपने विवाह के समय पहले से ही सुमन नाम

की महिला से विवाहित थी, लेकिन वह अपने प्रतिवादों की संपुष्टि के लिए कोई साक्ष्य पेश करने में विफल रही थी। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र प्रद.अभि.सा.1/1 का भी संदर्भ दिया गया था, जिसमें उसने बयान दिया था कि प्रत्यर्थी के माता-पिता उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे और उसने उनके विरुद्ध शिकायत नहीं की थी। यह भी उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी को दहेज में दी गई मारुति कार एक सप्ताह के भीतर चोरी हो गई थी, जिसके लिए प्राथमिकी सं. 160/2007 दर्ज की गई थी, जिसमें प्रत्यर्थी को अग्रिम जमानत लेने के लिए विवश किया गया था। इतना ही नहीं, अपीलार्थी ने अपने परिसाक्ष्य में स्वीकार किया था कि उसने स्वयं ज़हर अर्थात् ऑलआउट लिक्विड का सेवन किया था और उस समय पर प्रत्यर्थी अपने कार्यस्थल पर था। उसने आत्महत्या लेख प्रद.अभि.सा.1/3 लिखने की बात भी स्वीकार की। इसलिए, विद्वान परिवार न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया और तलाक मंजूर कर लिया गया।

17. प्रत्यर्थी को तलाक दिए जाने से व्यथित होकर वर्तमान अपील दायर की गई है।

18. **प्रस्तुतियाँ सुनी गईं और अभिलेख का परिशीलन किया गया।**

19. दोनों पक्षकारगण ने स्वीकार किया कि 08.03.2007 को उनका विवाह हुआ और 12.11.2007 को उनके विवाह से एक बेटी का जन्म हुआ। जैसा कि ऊपर दिए गए तथ्यों के वर्णन से स्पष्ट है, उनका विवाह शुरुआत से ही टूटने

की संभावना में था। साक्ष्यों में यह बात सामने आई है कि अपीलार्थी की माँ के अपीलार्थी के वास्तविक पिता के साथ कटु संबंध थे और तलाक होने से पहले ही, उसकी माँ ने उसके वास्तविक पिता के भाई श्री राकेश पंकज से विवाह कर लिया था। उनके बीच के बिखरे संबंधों के कारण, अपीलार्थी को बचपन में मानसिक आघात का सामना करना पड़ा, जिसका असर उसके अपने वैवाहिक जीवन पर भी पड़ा।

20. अपीलार्थी ने अपने विवाह के तुरंत बाद, इस आधार पर विवाह को अकृत घोषित करने के लिए एचएमए की धारा 11 के अंतर्गत एक याचिका दायर की कि प्रत्यर्थी अपने विवाह के समय पहले से ही सुमन नाम की महिला से विवाहित था। इतना ही नहीं, उसने सीएडब्ल्यू सेल के समक्ष एक शिकायत भी दर्ज की और भा.दं.सं. की धारा 323/406/495/506/120ख और 34 के अंतर्गत अपराध के लिए 190(1)(क) दं.प्र.सं. के अंतर्गत शिकायत दर्ज की। अपीलार्थी ने बाद में दिनांक 17.08.2009 के कथन के माध्यम से अपने मामले और साथ ही अकृतता याचिका वापस ले ली। वापसी के समय दिए गए अपने बयान में, उसने कहा कि उसके विवाह के द्विविवाह होने की गलत सूचना को स्पष्ट कर दिया गया था, और उनके विवाह के समय प्रत्यर्थी विवाहित नहीं था। उसने यह भी कहा कि उनके बीच के सभी विवाद, जो भी हों, सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिए गए हैं।

21. विद्वान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा यह सही कहा गया है कि अपीलार्थी यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज या कोई तर्कपूर्ण साक्ष्य अभिलेख पर लाने में सक्षम नहीं थी कि अपीलार्थी के साथ उसके विवाह के समय प्रत्यर्थी पहले से विवाहित था। उसके आरोप गलत सूचना पर आधारित थे जैसा कि अपीलार्थी ने परिवार न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया था। अपीलार्थी के आचरण के कारण प्रत्यर्थी को लगभग दो वर्षों तक सिविल और आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ा, जिसने गलत सूचना से उत्पन्न निराधार आरोपों पर उसके विरुद्ध न केवल सिविल, बल्कि आपराधिक मामले भी दायर किए थे।

22. प्रत्यर्थी का मानसिक आघात यहीं नहीं रुका। विवाह के समय अपीलार्थी को दी गई कार एक सप्ताह के भीतर चोरी हो गई और 12.03.2007 को प्राथमिकी सं. 160/2007 दर्ज की गई। प्रत्यर्थी को उक्त प्राथमिकी में अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए विवश किया गया था। हालाँकि बाद में प्राथमिकी अज्ञात पाई गई और जाँच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया, लेकिन तथ्य यह है कि उनके विवाह के दस दिनों के भीतर, प्रत्यर्थी पर दहेज में अपीलार्थी को दी गई कार की चोरी का आरोप लगाया गया था, जो स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी के लिए बहुत बड़ा मानसिक आघात है। निराधार आरोपों पर गिरफ्तारी से सुरक्षा माँगने के लिए विवश होने से अधिक दर्दनाक और क्या हो सकता है। इससे परिलक्षित होता है कि उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत से

ही उनके बीच कोई भरोसा और विश्वास नहीं था, बल्कि उस पर उस कार की चोरी करने का भी संदेह किया गया था जो उन्हें विवाह के समय उपहार में दी गई थी।

23. जुलाई, 2007 में दोनों पक्षकारगण अलग हो गए जिसके बाद प्रत्यर्थी/पति को कई सिविल और आपराधिक मुकदमों का सामना करना पड़ा। इसका निपटारा 17.08.2009 को अर्थात् लगभग दो साल बाद किया गया और राहत के तौर पर मामले वापस ले लिए गए। दोनों पक्ष, यह उम्मीद करते हुए कि वैवाहिक जीवन अब फलेगा-फूलेगा और सुचारु रूप से चलेगा, अपने वैवाहिक घर वापस गए, लेकिन वहाँ भी वे ठीक से नहीं रह सके। इसके तुरंत बाद, 02.12.2009 को वे वैवाहिक घर के पास एक किराये के परिसर में चले गए, लेकिन वहाँ भी चीज़ें ठीक से नहीं चलीं। माना जाता है कि, किराये के आवास में स्थानांतरित होने के तीन दिन के भीतर अर्थात् 05.12.2009 को, अपीलार्थी ने आत्महत्या करने के प्रयास में ऑलआउट मस्किटो रिपेलेंट लिक्विड का सेवन कर लिया। उसने एक आत्महत्या लेख प्रद.अभि.सा.1/3 भी लिखा था, जिसमें उसने कहा था कि उसके पति और ससुराल वाले अच्छे लोग थे जिन्होंने उसे प्यार और स्नेह दिया लेकिन वह उन भावनाओं को परस्पर व्यक्त करने में असमर्थ थी और उसने उन्हें आत्महत्या करने के अपने प्रयास से पूरी तरह से मुक्त कर दिया।

24. हालाँकि, अपीलार्थी ने अपने परिसाक्ष्य में यह दावा करके अपनी स्वयं की स्वीकारोक्तियों और आत्महत्या लेख से पल्ला झाड़ने का प्रयास किया कि उसे आत्महत्या लेख लिखने के लिए विवश किया गया था। हालाँकि, उसने अपनी प्रति-परीक्षा में स्वीकार किया कि दोपहर में उसके आत्महत्या के प्रयास के समय उसका पति भी मौजूद नहीं था क्योंकि वह अपने कार्यस्थल पर था। आत्महत्या का प्रयास करने और फिर पति और उसके परिवार के सदस्यों पर दोष मढ़ने का अपीलार्थी का ऐसा आचरण अत्यधिक क्रूरता का कार्य है क्योंकि परिवार को झूठे मामलों में फँसाए जाने की लगातार धमकी दी जा रही है।

25. आत्महत्या करने की बार-बार दी जाने वाली धमकियों और आत्महत्या के प्रयास को उच्चतम न्यायालय ने *पंकज महाजन बनाम डिंपल,* (2011) 12 एस.सी.सी. 1 के मामले में क्रूरता की श्रेणी में माना था। आगे यह भी उल्लेख किया गया कि क्रूरता की अवधारणा में एक साथी के साथ इतना क्रूर व्यवहार करना शामिल है कि उसके साथ रहना हानिकारक हो जाए। इसी प्रकार *नरेंद्र बनाम के. मीना* (2016) 9 एस.सी.सी. 455 में, यह देखा गया कि यदि पत्नी आत्महत्या करने में सफल हो जाती है, तो कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि बेचारा पति विधि के चंगुल में कैसे फँस जाएगा, जिससे उसका विवेक, मानसिक शांति, करियर और शायद उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आत्महत्या के प्रयास की ऐसी धमकी क्रूरता के समान है।

26. वर्तमान मामले में भी, अपीलार्थी का आचरण स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी/पति के प्रति क्रूरता का कृत्य है।

27. हम आगे उल्लेख करेंगे कि 15.12.2009 को वैवाहिक घर छोड़ने पर, अपीलार्थी ने महिला अपराध सेल (सीएडब्ल्यू सेल) में शिकायत दर्ज कराई, जो भा.दं.सं. की धारा 498क/406/34 के अंतर्गत प्राथमिकी सं. 508/2012 के पंजीकरण का आधार बनी। प्रत्यर्थी को एक बार फिर अग्रिम जमानत लेने के लिए विवश किया गया। अपीलार्थी ने सभी विवादों को निपटाने के लिए 5 लाख रुपये का दावा भी किया, लेकिन प्रत्यर्थी 3 लाख रुपये से अधिक देने की स्थिति में नहीं था, जिसके कारण मामले का निपटारा नहीं हो सका।

28. इसके बाद भी नौ वर्ष से अधिक समय तक अलग रहने के बावजूद वर्ष 2018 में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक और मामला दर्ज किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी को गलत व्यवहार के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने का विधिक अधिकार है, लेकिन प्रत्यर्थी या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज की माँग या क्रूरता के कृत्यों के निराधार आरोप लगाना और प्रत्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक विचारण शुरू करना स्पष्ट रूप से क्रूरता का कार्य है।

29. *के. श्रीनिवास बनाम के. सुनीता* (2013) 5 एससीसी 226 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पति और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध झूठी शिकायतें दर्ज करना हिंदू विवाह अधिनियम की

धारा 13 (1)(iक) के प्रयोजन के लिए मानसिक क्रूरता है। आगे यह देखा गया कि पति को दोषमुक्त करने पर प्रश्न उठाने वाली अपील दायर करना पत्नी के अथक प्रयासों को इंगित करता है कि किसी तरह यह सुनिश्चित किया जाए कि पति और उसके परिवार को जेल में डाल दिया जाए। बिना किसी संदेह के ऐसे कृत्य क्रूरता की श्रेणी में आते हैं।

30. *मंगयाकारसी बनाम एम. युवराज* (2020) 3 एससीसी 786 में उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया कि दहेज की माँग का एक निराधार आरोप या पति और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध लगाए गए ऐसे अन्य आरोपों ने उन्हें आपराधिक मुकदमे में डाल दिया। अंततः, यदि यह पाया जाता है कि ऐसे आरोप अनुचित और बिना आधार के थे, तो पति यह आरोप लगा सकता है कि उस पर मानसिक क्रूरता की गई है और इस आधार पर तलाक का दावा कर सकता है।

31. हम उल्लेख करेंगे कि अपने वैवाहिक जीवन के दो वर्षों के दौरान, दोनों पक्ष मुश्किल से कुल मिलाकर दस महीने तक एक साथ रहे और उस दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के प्रति झूठी शिकायतों और सिविल और आपराधिक मुकदमे दायर करने की क्रूरता के विभिन्न कार्य किए गए। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विद्वान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायावय ने सही अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी पर अपीलार्थी द्वारा क्रूरता

की गई थी और एचएमए की धारा 13 (1) (ia) के अंतर्गत तलाक दे दिया गया था।

32. हमें अपील में कोई गुणागुण नहीं मिला, इसलिए इसे लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, के साथ खारिज किया जाता है।

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायाधीश

(सुरेश कुमार कैत)
न्यायाधीश

09 जनवरी, 2024
वीए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*